रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218777 CG-DL-E-18032020-218777

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] No. 155] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.िन. 181(अ).—िदव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 839(अ), तारीख 13 नवंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 13 नवंबर, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया था;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

1477 GI/2020 (1)

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 31 में, खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(ख) जिनके पास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त निकायों में दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र में समूह "क" स्तर के पद का या किसी रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन में ज्येष्ठ स्तर के कृत्यकारी के रूप में दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव है:

परंतु बीस वर्ष के कुल अनुभव में से उसके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में होना चाहिए; और

(ग) वह भर्ती के वर्ष की 1 जनवरी को छप्पन वर्ष की उम्र से कम का हो।"

[फा. सं. 22-26/2019-डीडी-III]

डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव

टिप्पण: दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.िन. 591(अ), तारीख 15 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.िन. 209(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2020

G.S.R. 181(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 was published as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 839(E), dated the 13th November, 2019 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the day on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 13th November, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 31, for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - "(b) he is having at least twenty years experience in a Group "A" level post in the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a semi Government or an autonomous body dealing with disability

related matters or social sector or as senior level functionary in registered national and international voluntary organisations in the field of disability or social development:

Provided that out of the total of twenty years of experience, he should have at least three years of experience in the field of rehabilitation or empowerment of persons with disabilities; and

(c) he is less than fifty-six years of age as on the 1st January of the year of recruitment.".

[F. No. 22-26/2019-DD-III]

Dr. PRABODH SETH, Jt. Secy.

Note: The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 591(E), dated the 15th June, 2017 and last amended *vide* G.S.R. 209 (E), dated the 8th March, 2019.